



**कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
उत्तराखण्ड, देहरादून**



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

अभियन्त्रण विभागों के खण्डों की कार्य प्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन
2020–21



उत्तराखण्ड सरकार

प्रस्तावना

नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के स्थायी आदेशों की पुस्तिका (लेखा एवं हकदारी) खण्ड—1 के प्रस्तर 8.54 के प्रावधानों के अन्तर्गत इस कार्यालय द्वारा प्रत्येक वर्ष अभियन्त्रण विभागों के खण्डों की कार्य प्रणाली की वार्षिक समीक्षा प्रकाशित की जाती है। इस समीक्षा का उद्देश्य उत्तराखण्ड राज्य के लोक निर्माण, सिंचाई, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण निर्माण विभाग के खण्डों के लेखों के रख—रखाव में परिलक्षित महत्वपूर्ण एवं सामान्य प्रकृति की अनियमितताओं को केन्द्रीयभूत करना है। इसके अतिरिक्त इसमें लेखा परीक्षा कार्यालय द्वारा केन्द्रीय लेखा परीक्षा में पाई गई सामान्य प्रकार की अनियमितताएं, उत्तर न दिये गये लेखा परीक्षा टिप्पणियों और निरीक्षण प्रतिवेदनों के ब्यौरे तथा लोक निर्माण/सिंचाई/लघु सिंचाई एवं ग्रामीण निर्माण विभाग के खण्डों के स्थानीय निरीक्षण में पाई गई महत्वपूर्ण अनियमितताओं को भी सम्मिलित किया गया है। लेखा कर्मचारियों द्वारा मासिक लेखे तैयार करने में आवश्यक लेखा नियमों तथा प्रणालियों की पर्याप्त जानकारी के अभाव में लेखा या तो पूर्ण रूप से तैयार नहीं किये जाते हैं या तैयार भी किये जाते हैं तो उनकी गुणवत्ता स्तरीय नहीं होती है। लोक निर्माण, सिंचाई, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण निर्माण विभाग के खण्डों द्वारा लेखा संधारण में अभी भी सुधार की आवश्यकता है।

मैं आशा करता हूँ कि यह प्रतिवेदन उत्तराखण्ड राज्य के लोक निर्माण, सिंचाई, लघु—सिंचाई एवं ग्रामीण निर्माण विभाग के लेखा अधिकारियों/कर्मचारियों को अनियमितताओं को सुधारने तथा नियमानुसार कार्य सम्पादन करने की दृष्टि से मार्ग दर्शन करने में उपयोगी सिद्ध होगा।



(प्रवीन्द्र यादव)

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),

उत्तराखण्ड

दिनांक: 10/12/2021

स्थान: देहरादून।

महत्वपूर्ण बिन्दु

1. खण्डों द्वारा मासिक लेखे विलम्ब से कार्यालय महालेखाकार को प्रस्तुत किये गये (प्रस्तर-1)।
2. खण्डों द्वारा वर्ष 2020-21 के प्रपत्र-51 कार्यालय महालेखाकार को विलम्ब से प्रेषित किये गए (प्रस्तर-2)।
3. सिंचाई विभाग द्वारा जमा शीर्ष में प्रतिकूल अवशेष लम्बे समय से चले आ रहे हैं। प्रतिकूल जमा अवशेष के अविलम्ब निस्तारण हेतु शासन स्तर से कड़े निर्देश जारी करने की आवश्यकता है (प्रस्तर-3)।
4. नकद परिशोधन उचन्त लेखा (सी०एस०एस०ए०) एवं सामग्री क्रय परिशोधन उचन्त लेखा (एम०पी०एस०एस०ए०) के अन्तर्गत विगत कई वर्षों से राशियां लम्बित हैं। धनराशियों के त्वरित समायोजन हेतु शासन स्तर से कड़े निर्देश जारी करने की आवश्यकता है (प्रस्तर-4, 5)
5. लोक निर्माण प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत लम्बित धनराशियों के निस्तारण न होने से गबन/कपट की सम्भावना रहती है (प्रस्तर-6)।
6. विगत वर्षों में लेखे से सम्बन्धित अनेकों अनियमितताओं को अवगत कराने के बावजूद भी उक्त अनियमितताएं इस वर्ष भी लेखे में पायी गयी हैं (प्रस्तर-7)।
7. प्रकीर्ण अग्रिम से सम्बन्धित अवशेष जो विगत अनेक वर्षों से लम्बित चले आ रहे हैं, के निस्तारण हेतु त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही की जानी अपेक्षित है (प्रस्तर-8)।
8. लेखा परीक्षा कार्यालय के निरीक्षण दलों द्वारा जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी नहीं प्राप्त हुए। निरीक्षण के दौरान पायी गयी महत्वपूर्ण अनियमितताएं तथा केन्द्रीय लेखा परीक्षा के दौरान मासिक लेखाओं में पायी गयी अन्य अनियमिततायें (द्वितीय भाग प्रस्तर-1 एवं 2)।

संस्तुतियाँ

महालेखाकार कार्यालय द्वारा तैयार किये जाने वाले राज्य के वित्त एवं विनियोजन लेखों में अभियन्त्रण खण्डों के व्यय एवं प्राप्ति के यथार्थ एवं सही आंकड़े सम्मिलित होने चाहिए। इस दृष्टि से खण्डों द्वारा प्रेषित किये जाने वाले संकलित मासिक लेखों की समीक्षा की जाती है और परिणामों से सम्बन्धित खण्डों को समय-समय पर अवगत कराया जाता है। इसी क्रम में खण्डों के लेखों में सुधार एवं गुणवत्ता में सुधार की दृष्टि से राज्य शासन/विभागाध्यक्ष द्वारा खण्डीय अधिकारियों को निम्नलिखित अनुदेश अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु जारी किये जाने चाहिए:-

1. मासिक लेखे कार्यालय महालेखाकार को अनिवार्य रूप से निर्धारित समयावधि (जिस माह का लेखा है उसके अगले माह की 07 से 10 तारीख के मध्य) के अन्तर्गत प्रस्तुत करें।
2. प्रपत्र-51 मासिक लेखे के साथ प्रस्तुत करें।
3. लोक निर्माण प्रेषण शीर्षों में लम्बित क्रेडिट एवं डेबिट धनराशियों का निस्तारण संबंधित कोषागारों से मिलान कर सुनिश्चित करें।
4. विविध लोक निर्माण अग्रिम (प्रकीर्ण अग्रिम) में लम्बित धनराशियों का निस्तारण सुनिश्चित करें तथा वित्तीय वर्ष के अन्त में कोई भी अग्रिम असमायोजित नहीं रहना चाहिए।
5. नकद परिशोधन लेखों के अन्तर्गत लम्बित शेषों का निस्तारण सुनिश्चित करायें।
6. सामग्री क्रय परिशोधन लेखों के अन्तर्गत अनिस्तारित शेषों का निस्तारण सुनिश्चित करें।
7. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा जारी किए गये निरीक्षण प्रतिवेदनों का उत्तर, जारी करने की तिथि से 6 माह के भीतर प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।

अभियन्त्रण विभागों के खण्डों की कार्य प्रणाली पर वर्ष 2020-21 की वार्षिक समीक्षा आख्या परिचयात्मक

यह समीक्षा उत्तराखण्ड राज्य के लोक निर्माण, सिंचाई, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण निर्माण विभाग के खण्डों की कार्य प्रणाली का मूल्यांकन है। विभिन्न खण्डों के मासिक लेखों में हो रही निरन्तर व सामान्य प्रकृति की अनियमितताओं को इस समीक्षा आख्या में शामिल किया गया है। यहाँ यह भी उल्लेख किया जाता है कि इस समीक्षा आख्या में जो भी अनियमितताएं, कमियाँ एवं त्रुटियाँ शामिल की गयी हैं, वे विस्तृत नहीं बल्कि उदाहरण के रूप में हैं।

दिनांक 31-03-2021 को अभियन्त्रण विभागों के खण्डों की कुल संख्या-199 थी। विभाग वार खण्डों की संख्या निम्न है:-

| क्रम संख्या | विभाग | खण्डों की संख्या |
|-------------|-----------------------|------------------|
| 1. | लोक निर्माण | 93 |
| 2. | सिंचाई | 72 |
| 3. | लघु सिंचाई | 13 |
| 4. | ग्रामीण निर्माण विभाग | 21 |
| योग | | 199 |

संरचना

समीक्षा आख्या दो भागों में निम्नवत् तैयार की गयी है:-

प्रथम—भाग: इस भाग में खण्डों से प्राप्त हुये मासिक लेखों की प्रारम्भिक जाँच एवं लेखों के संकलन के दौरान पायी गयी कमियों/अनियमितताओं को सम्मिलित किया गया है।

द्वितीय—भाग: इस भाग में लेखा परीक्षा कार्यालय के केन्द्रीय लेखा परीक्षा एवं स्थानीय निरीक्षण के दौरान खण्डों के प्रारम्भिक लेखों के रख-रखाव में पायी गयी वित्तीय अनियमितताओं एवं त्रुटियों को शामिल किया गया है।

प्रथम—भाग

प्रस्तर 1: मासिक लेखों का विलम्ब से भेजा जाना:-

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के प्रस्तर-758 के प्रावधानों के अन्तर्गत खण्डों के संकलित मासिक लेखे सभी प्रपत्रों सहित (केवल माह मार्च के लेखे को छोड़कर) अगले माह 7 से 10 तारीख के मध्य एवं मार्च माह के मासिक लेखे 15 अप्रैल तक महालेखाकार कार्यालय में प्राप्त हो जाने चाहिए। यह प्रकाश में आया है कि कतिपय खण्डीय अधिकारियों द्वारा संकलित मासिक लेखे महालेखाकार कार्यालय में समय से प्राप्त कराये जाने के सम्बन्ध में उपरोक्त प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है। विगत पांच वर्षों में विलम्ब से प्राप्त होने वाले मासिक लेखों का सार निम्न तालिका में दिया गया है :—

तालिका—1

| वर्ष | सिंचाई विभाग | लघु सिंचाई विभाग | लोक निर्माण विभाग | ग्रामीण निर्माण विभाग | पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड | | | विलम्ब से प्राप्त लेखों का योग | कुल खण्ड | विलम्ब से प्राप्त लेखों का प्रतिशत |
|---------|--------------|------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------|----------|------------------------------------|
| | | | | | सिंचाई (खण्ड) | लोक निर्माण विभाग | ग्रामीण निर्माण विभाग | | | |
| 2020-21 | 262 | 73 | 473 | 109 | 68 | 49 | 07 | 1041 | 199 | 43.59 |
| 2019-20 | 241 | 61 | 373 | 80 | 69 | 53 | 09 | 886 | 199 | 37.10 |
| 2018-19 | 141 | 29 | 268 | 43 | 64 | 62 | 16 | 623 | 198 | 26.22 |
| 2017-18 | 105 | 22 | 232 | 23 | 42 | 53 | 13 | 490 | 198 | 20.62 |
| 2016-17 | 130 | 28 | 234 | 47 | 64 | 36 | 15 | 554 | 199 | 23.19 |

विलम्ब से प्राप्त होने वाले मासिक लेखे वर्ष 2016-17 में लगभग 23 प्रतिशत थे। लेकिन वित्तीय वर्ष 2020-21 में भी 43.59% मासिक लेखे विलम्ब से प्राप्त हुए हैं, जिसमें अनिवार्य रूप से सुधार की आवश्यकता है।

वर्ष 2020-21 में विलम्ब से प्राप्त हुये मासिक लेखों की विभागवार एवं माहवार स्थिति अनुलग्नक-1(अ) एवं अनुलग्नक-1(ब) में दी गई है।

शासन द्वारा सम्बन्धित विभागों को निर्धारित दिनांक तक मासिक लेखों का प्रस्तुतीकरण करने की प्रक्रिया को त्वरित करने की आवश्यकता है। इस सन्दर्भ में शासन स्तर से कृत कार्यवाही से कार्यालय महालेखाकार को अवगत करायें।

नोट: कोषागार द्वारा संकलित मासिक लेखे Interface के द्वारा इस कार्यालय को ससमय प्राप्त हो रहे हैं।

प्रस्तर-2: मासिक लेखों के साथ प्रपत्र-51 न भेजा जाना अथवा विलम्ब से भेजे जाने के कारण ब्रॉडशीट के रख-रखाव में व्यवधान उत्पन्न होना:-

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के प्रस्तर 758 के प्रावधानों के अन्तर्गत खण्डीय अधिकारी प्रपत्र-51 शिड्यूल ऑफ सेटलमेंट विद् ट्रेजरीज, कोषाधिकारी द्वारा जारी किये गए प्रमाण पत्र एवं संकलित ट्रेजरी रसीदों सहित, मासिक लेखे के साथ महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित करेंगे। खण्डों से प्राप्त उक्त प्रपत्र के आधार पर मुख्य लेखाशीर्ष-8782 की ब्राडशीट को तैयार किए जाने का कार्य प्रधान महालेखाकार कार्यालय द्वारा किया जाता है।

अप्रैल 2019 से राज्य मे IFMS प्रणाली लागू होने के उपरान्त सचिव, वित्त अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0-306/XXVI(6)/एक/2018/2019 दिनांक 05 सितम्बर 2019 के बिन्दु (क) 6 के अनुसार – लोक निर्माण प्रेषण से संबंधित लेखाशीर्ष 8782-00-102 को दिनांक 01.09.2019 से समाप्त कर दिया गया है। जिस कारण खण्डों का मुख्य लेखाशीर्ष 8782 का ब्रॉडशीट अद्यतन नहीं किया जा सका।

प्रस्तर-3: सिंचाई विभाग जमा में प्रतिकूल शेष:-

लेखाशीर्ष 8443-सिविल जमा, 108-लोक निर्माण जमा के अन्तर्गत विभिन्न खण्डों में कुल रु. 363.19 का प्रतिकूल अवशेष था, इसका कारण ऋणात्मक अवशेष वाले

खण्डों के विघटन के फलस्वरूप धनात्मक अवशेष वाले खण्डों में समायोजित किया जाना है, जबकि विभाजन से पूर्व से अवशेष अभी भी बंटवारे के अधीन हैं, जिनका विवरण अनुलग्नक-2 में दिया गया है। उपरोक्त लेखाशीर्ष के अन्तर्गत प्रतिकूल शेष यह इंगित करता है कि खण्डों द्वारा बाह्य एजेंसियों के कार्य सम्पादन हेतु जमा की गयी धनराशि से अधिक व्यय कर दिया गया है जो कि संहिता एवं नियम पुस्तकों में उल्लिखित प्रावधानों के प्रतिकूल है। प्रतिकूल शेष इस बात को भी इंगित करता है कि शासन को देय धनराशि की वसूली बकाया है। शासन द्वारा सम्बन्धित विभागों के प्रतिकूल शेष के निस्तारण हेतु नीति निर्धारित करने की आवश्यकता है।

प्रस्तर-4: लेखाशीर्ष-8658 उचन्त लेखे-107 नकद परिशोधन उचन्त लेखे के अन्तर्गत दीर्घ अवधि से रु. 160.06 लाख के लम्बित अवशेष:-

अभियन्त्रण विभागों में शासनादेश संख्या-ए 2-1240 / दस-95-17(6) / 83 दिनांक 23-05-1995 द्वारा भण्डारों एवं सामग्रियों के क्रय हेतु दिनांक 01-07-1995 से 'कैश एण्ड कैरी' पद्धति लागू की गई थी। दिनांक 01-07-1995 से पूर्व अभियन्त्रण विभागों के विभिन्न खण्डों द्वारा समय-समय पर नकद परिशोधन उचन्त लेखा (सी0एस0एस0ए0) में धनराशि पुस्तांकित की जाती रही है। नियमानुसार प्रतिवादी खण्ड को नकद परिशोधन उचन्त लेखा में पुस्तांकित की गई धनराशि को मूल खण्ड से लेखा प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर निस्तारित किया जाना चाहिये था, जिससे कि उक्त शेष में कोई अवशेष अनिस्तारित न रहे। यह देखने में आया है कि कुछ खण्डों द्वारा उक्त शेष में विभिन्न खण्डों द्वारा नकद परिशोधन उचन्त लेखे में पुस्तांकित की गई धनराशि का निस्तारण न किये जाने के फलस्वरूप अभी भी रु. 160.06 लाख के अवशेष विभिन्न खण्डों के विरुद्ध राज्य विभाजन से पूर्व से चले आ रहे हैं। ऐसे अवशेषों का उल्लेख पूर्व के वर्षों में जारी वार्षिक समीक्षा आख्याओं में इस आशय से किया गया था कि शासन स्तर पर अवशेषों के निस्तारण हेतु प्रभावी कदम उठाये जायेंगे, परन्तु अवशेषों का लम्बित रहना यह दर्शाता है कि शासन स्तर पर प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी। जिन खण्डों के विरुद्ध अवशेष हैं उनका विवरण अनुलग्नक-3 में दिया गया है।

अतः शासन से अपेक्षा की जाती है कि लेखाशीर्ष 8658—उचन्त लेखे—107 नकद परिशोधन उचन्त लेखे में लम्बित धनराशि जो राज्य विभाजन से पूर्व से चली आ रही है, के निस्तारण के सम्बन्ध में नीति-निर्धारण कर निस्तारण हेतु प्रभावी कदम उठाये जायें।

प्रस्तर—5: सामग्री क्रय परिशोधन उचन्त लेखे के अन्तर्गत दीर्घ अवधि से ₹ 262.99 लाख अनिस्तारित अवशेषः—

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड—6 के प्रस्तर—763 के प्रावधानों के अनुसार खण्डों द्वारा उचन्त लेखाशीर्ष के अन्तर्गत पुस्तांकित की गई धनराशि की वसूली अथवा समायोजन, शीघ्र किया जाना चाहिए, जिसके लिए विशेष प्रयास किये जाने अपेक्षित हैं। ऐसा प्रकाश में आया है कि कुछ खण्डों द्वारा उचन्त लेखाशीर्ष के अन्तर्गत पुस्तांकित की गई धनराशि के निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में उपरोक्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। सामग्री क्रय परिशोधन उचन्त लेखा (एम०पी०एस०एस०ए०) शीर्ष के अन्तर्गत जिन खण्डों के विरुद्ध ₹ 262.99 लाख की राशि राज्य विभाजन से पूर्व से चली आ रही है अथवा असमायोजित पड़ी हुई है उनका खण्डवार विवरण अनुलग्नक—4 में दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि उक्त अवशेषों का विवरण इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनों में किया गया था परन्तु शासन स्तर पर अवशेषों के निस्तारण हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही की गयी प्रतीत नहीं होती है।

राज्य सरकार से अपेक्षा की जाती है कि खण्डीय अधिकारियों को वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड—6 के प्रस्तर—763 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया जाये तथा आवश्यकता अनुरूप निस्तारण की समुचित प्रणाली विकसित की जाये। इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से महालेखाकार कार्यालय को अवगत कराया जाए।

प्रस्तर-6: लोक निर्माण प्रेषण शीर्ष के अन्तर्गत लम्बित धनराशियों का समाधान न किया जाना:-

लोक निर्माण प्रेषण शीर्ष के अन्तर्गत लंबित धनराशियों के समाधान हेतु, वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 6 के प्रस्तर 742 एवं 743 तथा वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 (भाग-2) के प्रस्तर 638(ख) तथा प्रस्तर 648 के प्रावधानों के अन्तर्गत कोषागारों द्वारा खण्डीय अधिकारियों को प्रत्येक लेखा माह अनुगामी माह की चार तारीख तक, समेकित कोषागार रसीद (सी0टी0आर0) तथा समेकित कोषागार निर्गमन (सी0टी0आई0) उपलब्ध कराया जाना चाहिये तथा वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 (भाग 2) के प्रस्तर 650 के प्रावधानों के अनुरूप कोषाधिकारी द्वारा खण्डीय अधिकारियों से उनके समस्त प्रेषणों की मासिक समाधान की व्यवस्था की जानी चाहिए।

इस कार्यालय के अभिलेखानुसार दिनांक 31-03-2019 को प्रेषण शीर्ष के अन्तर्गत अभियन्त्रण सेवाओं के विभिन्न खण्डों के अनिस्तारित नकद प्रेषण का राशिवार विवरण अनुलग्नक-5 में दिया गया है जबकि चैकों से सम्बन्धित अनिस्तारित खण्डवार अवशेष धनराशियां अनुलग्नक-6 में दर्शायी गयी हैं। कोषागारों द्वारा सी0टी0आर0 एवं सी0टी0आई0 के समुचित रख-रखाव के अभाव में उक्त धनराशियां अभी तक अनिस्तारित चली आ रही हैं।

उक्त अनिस्तारित राशियों का उल्लेख पूर्व के वर्षों में जारी समीक्षा प्रतिवेदनों में भी किया गया था, जिनके निस्तारण हेतु शासन व विभागाध्यक्षों के स्तर पर प्रभावी कार्यवाही की गयी प्रतीत नहीं होती।

यह उल्लेख करना अति महत्वपूर्ण है कि लोक निर्माण प्रेषण शीर्ष के अन्तर्गत लम्बित धनराशियों के निस्तारण न होने से गबन की सम्भावनाएं बनी रहती हैं। अतः शासन के स्तर पर प्रत्येक माह की 4 तारीख तक समेकित कोषागार रसीद (सी0टी0आर0) तथा समेकित कोषागार निर्गमन (सी0टी0आई0) खण्डों के खण्डीय अधिकारियों को प्रेषित करने हेतु सभी कोषाधिकारियों को निर्देश जारी करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त लोक निर्माण एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के खण्डीय अधिकारियों को भी उपरोक्त लेखाशीर्ष में अनिस्तारित अवशेषों के निस्तारण के लिये

दिशा-निर्देश किये जाने की आवश्यकता है। दीर्घ अवधि से लम्बित अवशेषों के निस्तारण हेतु शासन द्वारा समुचित नीति निर्धारित की जानी अपेक्षित है।

वर्तमान में अप्रैल 2019 से राज्य में IFMS प्रणाली लागू होने के उपरान्त सचिव, वित्त अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0-306/XXVI(6)/एक/2018/2019 दिनांक 05 सितम्बर 2019 के बिन्दु (क) 6 के अनुसार – लोक निर्माण प्रेषण से संबंधित लेखाशीर्ष 8782-00-102 को दिनांक 01.09.2019 से समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार संबंधित लेखा संहिता “वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग VI” में भी संशोधन अपेक्षित है।

प्रस्तर-7: मासिक लेखों की प्रारम्भिक जांच के दौरान पायी गयी सामान्य त्रुटियां:-

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के प्रस्तर 758 के प्रावधानों के अन्तर्गत इस को भेजे गये मासिक लेखे सभी प्रकार से पूर्ण व सही होने चाहिए। यह देखा गया कि खण्डीय अधिकारियों द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किये गये मासिक लेखों में अनेकों प्रकार की विसंगतियाँ / कमियाँ पायी गयी जिनका उल्लेख नीचे किया गया हैः—

- i. प्रपत्र-80 की प्राप्ति एवं व्यय पक्षों की राशियों का मासिक लेखा के साथ संलग्न विभिन्न प्रपत्र जैसे—प्रपत्र-74, प्रपत्र-70, प्रपत्र-79 आदि की राशियों से मेल न होना।
- ii. प्रपत्र-80 में कैश बैलेन्स का प्रारम्भिक शेष पिछले माह के अन्तिम शेष से भिन्न होना, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आहरण-वितरण अधिकारियों द्वारा नकदी के सत्यापन में समुचित सावधानी नहीं बरती गई। आई.एफ.एम.एस. से जेनेरेटेड फार्म 80 में रोकड़ के आरंभिक एवं अंत शेष के कॉलम नहीं बनाये गये हैं।
- iii. प्रपत्र-80 में प्राप्ति एवं व्यय पक्षों के योग में अन्तर पाया गया।
- iv. कतिपय लेखों के साथ फार्म (46A) प्राप्तियों का लेखा शीर्ष विवरण संलग्न नहीं किया गया।
- v. चालान लिस्ट के साथ चालान की प्रति प्रेषित नहीं की गई।
- vi. मासिक लेखों के साथ चालान द्वारा सीधे कोषागार में जमा किए गए राजस्व का विवरण संलग्न न होने के कारण इस कार्यालय के स्तर पर प्रेषण की राशि की

सत्यता सुनिश्चित नहीं की जा सकी। अतः राजस्व प्रेषण का विवरण व चालान की प्रतियाँ संलग्न किया जाना अपेक्षित है।

- vii. कुछ प्रकरणों में व्यय की प्रकृति भारित/दत्तमत को न दर्शाया जाने के कारण त्रुटिपूर्ण लेखांकन की सम्भावना बनी रहती है।
- viii. अधिकांश प्रकरणों में प्रपत्र-64 (निर्माण खर्च का शिड्यूल) के प्रगामी व्यय एवं आबंटित बजट के स्तम्भों को न भरने के कारण भुगतान आधिक्य की सम्भावना बनी रहती है।
- ix. वी०एल०सी० द्वारा आवंटित कम्प्यूटर कोड की सील को मासिक लेखे पर न लगाये जाने से खण्डों की पहचान में असुविधा होती है।
- x. संशोधन के लिये तैयार की गयी अंतरण प्रविष्टि पर संख्या व माह का न दर्शाया जाना निर्धारित नियमों की अवहेलना है, जिससे लेखे की सत्यता संदिग्ध रहती है।
- xi. लेखाशीर्षों के अन्तर्गत 15 अंकीय वर्गीकरण सही रूप से अंकित न होने के कारण प्रायः वर्गीकरण की त्रुटियाँ प्रदर्शित होती हैं। अतः 15 अंकीय वर्गीकरण अनिवार्यतः अंकित किया जाना अपेक्षित है।
- xii. मासिक लेखे के साथ प्रपत्र-67ए (शिड्यूल ऑफ एम०पी०एस०एस०ए०) का संलग्न न किये जाने से स्टॉक उचन्त का सही आंकलन नहीं हो पाता है।
- xiii. मासिक लेखे के साथ प्रपत्र-76ए (शिड्यूल ऑफ सी०एस०एस०ए०) का संलग्न नहीं किया गया जिससे लम्बित अवशेषों का सही आंकलन करने में असुविधा हुई।
- xiv. खण्डों द्वारा प्रायः बजट आबंटन की प्रत्याशा में व्यय कर दिया जाता है। बड़ी मात्रा में धनराशियों के व्यवर्तन के परिणामस्वरूप लेखांकन प्रक्रिया के मूल उद्देश्य हतोत्साहित होता है।

इस कार्यालय द्वारा उपरोक्त अनियमितताओं/कमियों एवं विलम्बित प्रेषणों को संबंधित खण्डों की जानकारी में समय-समय पर लाया गया है। शासन से अनुरोध है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में खण्डीय अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित

करें तथा शासन स्तर से शुरू की गई सुधारात्मक पहलों से कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक) को अवगत करायें।

प्रस्तर-8: प्रकीर्ण अग्रिम मद में धनराशियाँ लम्बे समय से अनिस्तारित रहना:-

वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-6 के प्रस्तर-578 के अन्तर्गत प्रकीर्ण अग्रिम मद में वे ही धनराशियाँ दर्ज की जानी चाहिए जो उधार बिक्री, निक्षेप में प्राप्त धनराशि से अधिक व्यय एवं हानियाँ, छटनी अथवा त्रुटियों के कारण उत्पन्न हुयी हों तथा उनका निस्तारण समुचित अन्तिम शीर्ष को अन्तरण अथवा वसूली द्वारा यथाशीघ्र किया जाना चाहिए। वसूली न होने योग्य राशियों को बट्टे खाते में डालने के प्रयास किये जाने चाहिए।

विभिन्न निर्माण कार्य खण्डों के लेखाओं के अवलोकन पर पाया गया कि अभियन्त्रण विभागों के पुस्तकों में प्रकीर्ण अग्रिम मद में अत्यधिक धनराशियाँ लम्बे समय से अनिस्तारित चली आ रही हैं, जिन खण्डों के विरुद्ध अनिस्तारित अवशेष लम्बित हैं उनका विवरण अनुलग्नक-7 में दर्शाया गया है। अतः उक्त लम्बित अवशेषों के निस्तारण हेतु शासन एवं विभागीय स्तर पर प्रभावी कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

द्वितीय—भाग

प्रस्तर-1: निरीक्षण प्रतिवेदनों का उत्तर निर्धारित समय तक न दिया जाना:-

लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा जारी किये गये स्थानीय निरीक्षण प्रतिवेदनों के सभी प्रस्तरों का प्रथम उत्तर/अनुपालन आख्या लेखा परीक्षा कार्यालय में प्रतिवेदनों के जारी करने की तिथि से छह सप्ताह के भीतर प्राप्त हो जाना चाहिए।

यह देखने में आया है कि वर्ष 2020-21 में अनेक खण्डों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर अनेक माह व्यतीत हो जाने पर भी लेखा परीक्षा कार्यालय को नहीं भेजे गए हैं। इस प्रकार प्रतिवेदनों का अनुत्तरित रहना निरीक्षण के उद्देश्य को समाप्त कर देता है।

अभियंत्रण खण्डों की सूची, जिन्होंने निरीक्षण प्रतिवेदनों का प्रथम उत्तर निर्धारित समायान्तर्गत नहीं दिया है, अनुलग्नक-8 में दिया गया है।

प्रस्तर-2: स्थानीय निरीक्षण के दौरान पाई गयी महत्वपूर्ण अनियमितताएँ:-

अभियन्त्रण विभागों के स्थानीय निरीक्षण के दौरान अनेक प्रकार की अनियमितताएँ पाई गयीं। महत्वपूर्ण अनियमितताओं की सूची अनुलग्नक-9 में दी गयी है। निर्माण कार्य विभागों के मासिक लेखाओं के निरीक्षण में पाए गये भुगतान आधिक्य व अन्य अनियमितताओं का विवरण अनुलग्नक-10 में दिया गया है।

इन सभी प्रकरणों में वित्तीय हितों की सुरक्षा हेतु शासन द्वारा सुधारात्मक कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।



वरिं उपमहालेखाकार प्रशासन एवं लेखा

अनुलग्नक-1(अ)
(प्रस्तर-1 के सन्दर्भ में)

विभाग एवं माहवार मासिक लेखे की स्थिति जिनके लेखे वर्ष 2020-21 में विलम्ब से प्राप्त हुए:-

| माह | सिंचाई विभाग | लघु सिंचाई खण्ड | लोक निर्माण | ग्रामीण निर्माण विभाग | योग |
|--------------|--------------|-----------------|-------------|-----------------------|------|
| अप्रैल-2020 | 46 | 08 | 82 | 20 | 156 |
| मई-2020 | 34 | 07 | 29 | 06 | 76 |
| जून-2020 | 24 | 09 | 48 | 10 | 91 |
| जुलाई-2020 | 41 | 09 | 31 | 11 | 92 |
| अगस्त-2020 | 39 | 10 | 71 | 17 | 137 |
| सितम्बर-2020 | 31 | 04 | 39 | 09 | 83 |
| अक्टूबर-2020 | 16 | 06 | 23 | 14 | 59 |
| नवम्बर-2020 | 25 | 05 | 40 | 05 | 75 |
| दिसम्बर-2020 | 21 | 05 | 25 | 06 | 57 |
| जनवरी-2021 | 22 | 03 | 42 | 03 | 70 |
| फरवरी-2021 | 26 | 04 | 43 | 04 | 77 |
| मार्च-2021 | 05 | 03 | 49 | 11 | 68 |
| योग | 330 | 73 | 522 | 116 | 1041 |

अनुलग्नक 1 (ब) / (प्रस्तर-1 के सन्दर्भ में)
 सिंचाई खण्डों द्वारा विलम्ब से प्रेषित लेखों की सूची
 अप्रैल-2020 से मार्च 2021
 प्राप्ति की निर्धारित तिथि (अगले माह की 10वीं तारीख)

| क्र0स0 | आई. आर. डी. | खण्ड का नाम | अप्रैल | मई | जून | जुलाई | अगस्त | सितम्बर | अक्टूबर | नवम्बर | दिसम्बर | जनवरी | फरवरी | मार्च |
|--------|-------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 1. | 001 | सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा | 28.05.20 | | | 18.08.20 | 16.09.20 | | | | | | | |
| 2. | 002 | सिंचाई खण्ड, रानीखेत | 12.05.20 | | 14.07.20 | 18.08.20 | 16.09.20 | 16.10.20 | 17.11.20 | | 12.01.21 | | | |
| 3. | 003 | लघु डाल खण्ड अल्मोड़ा | 25.05.20 | | | 18.08.20 | 16.09.20 | | 25.11.20 | | | 11.02.21 | | |
| 4. | 031 | सिंचाई खण्ड, बागेश्वर | | | | 18.08.20 | 16.09.20 | 13.10.20 | 17.11.20 | 15.12.20 | | | | |
| 5. | 035 | सिंचाई खण्ड, चमोली | | | 14.07.20 | | 16.09.20 | 21.10.20 | 13.11.20 | 15.12.20 | | 11.02.21 | | |
| 6. | 045 | सिंचाई खण्ड, लोहाघाट, चम्पावत | 28.05.20 | 30.06.20 | 14.07.20 | 18.08.20 | 23.09.20 | | | 15.12.20 | 15.01.21 | 16.02.21 | 16.03.21 | |
| 7. | 053 | सिंचाई खण्ड, देहरादून | 21.05.20 | 11.06.20 | | | | | | | | | 12.03.21 | |
| 8. | 054 | सिंचाई खण्ड, कालसी | | 21.07.20 | | 18.08.20 | 23.09.20 | | | 14.12.20 | | | 12.03.21 | |
| 9. | 055 | नलकूप खण्ड, देहरादून | 18.05.20 | | | | | | | 11.12.20 | | | 15.03.21 | |
| 10. | 056 | अनुसंधान एवं अवस्थापना खण्ड, देहरादून | 21.05.20 | | | | | | | 22.12.20 | 12.01.21 | 15.02.21 | 15.03.21 | |
| 11. | 061 | सिंचाई खण्ड, विकासनगर, देहरादून | 22.05.20 | | | 18.08.20 | 16.09.20 | | | | 12.01.21 | | | |
| 12. | 066 | परियोजना खण्ड, देहरादून | | | | | | | | | | | | |
| 13. | 069 | डाकपत्थर कालोनी एवं संचार खण्ड | 28.05.20 | 11.06.20 | | 18.08.20 | 28.09.20 | 16.10.20 | | 15.12.20 | 12.01.21 | 11.02.21 | 16.03.21 | |
| 14. | 073 | सिंचाई खण्ड रुड़की | 15.05.20 | | 14.07.20 | | | | | | | | | |
| 15. | 126 | सिंचाई खण्ड हरिद्वार | 13.05.20 | | | | 15.09.20 | | | | | | | |
| 16. | 127 | अवस्थापना (पुनर्वास) खण्ड, ऋषिकेश, देहरादून | | | | | | | | | | | | |
| 17. | 128 | परियोजना खण्ड, ऋषिकेश | | | | 18.08.20 | | 13.10.20 | | | | | 12.03.21 | |
| 18. | 129 | नलकूप खण्ड रुड़की, हरिद्वार | | 30.06.20 | | | 16.09.20 | 19.10.20 | | 15.12.20 | 22.01.21 | | 25.05.21 | |
| 19. | 130 | सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रुड़की | | | | | | 13.10.20 | | 14.12.20 | | 11.02.21 | | |
| 20. | 131 | परिकल्प खण्ड, रुड़की | 27.05.20 | | | 18.08.20 | 16.09.20 | 14.10.20 | 13.11.20 | | | | 15.03.21 | |
| 21. | 132 | | 15.05.20 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|
| 22. | 133 | सिंचाई कार्यशाला खण्ड, रुड़की | 01.06.20 | | | 18.08.20 | 16.09.20 | 13.10.20 | | | | | | | | |
| 23. | 135 | सिंचाई खण्ड, सितारगंज | 28.05.20 | | | 18.08.20 | | 13.10.20 | | 15.12.20 | 14.01.21 | | | | | |
| 24. | 150 | सिंचाई खण्ड, नैनीताल | 19.05.20 | 11.06.20 | | 18.08.20 | 16.09.20 | 13.10.20 | 23.11.20 | 15.12.20 | 21.01.21 | 16.02.21 | 15.03.21 | | | |
| 25. | 151 | नलकूप खण्ड, हल्द्वानी | 30.06.20 | 30.06.20 | 14.07.20 | 18.08.20 | 16.09.20 | 19.10.20 | | 15.12.20 | 15.01.21 | 11.02.21 | 15.03.21 | | | |
| 26. | 153 | जमरानी डैम निर्माण खण्ड-3, हल्द्वानी, नैनीताल | 18.06.20 | | | 25.08.20 | 16.09.20 | | | 22.12.20 | 12.01.21 | 16.02.21 | | | | |
| 27. | 154 | सिंचाई खण्ड, रामनगर, नैनीताल | | 30.07.20 | 14.07.20 | 18.08.20 | 16.09.20 | | 17.11.20 | | 12.01.21 | 11.02.21 | | | | |
| 28. | 155 | सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी | 15.05.20 | 30.07.20 | | 18.08.20 | 16.09.21 | | | | | | | | | |
| 29. | 170 | सिंचाई खण्ड, दुगड़ा | 13.07.20 | 30.06.20 | | | 15.09.20 | 12.10.20 | | 11.12.20 | | | 12.03.21 | | | |
| 30. | 171 | सिंचाई खण्ड, श्रीनगर | 15.05.20 | 30.06.20 | | | 16.09.20 | | | | | 11.02.21 | | | | |
| 31. | 172 | नलकूप खण्ड, बाजपुर | 13.05.20 | | 20.07.20 | 18.08.20 | 23.09.20 | 19.10.20 | | | | | | | | |
| 32. | 200 | सिंचाई निर्माण खण्ड, पिथौरागढ़ | | 11.06.20 | | 18.08.20 | 16.09.20 | 13.10.20 | | | 25.01.21 | | | | | |
| 33. | 230 | सिंचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग रुद्रप्रयाग | 25.05.20 | 11.06.20 | | 18.08.20 | | | | | | | | | | |
| 34. | 240 | सिंचाई खण्ड, नई टिहरी | 29.5.20 | 30.06.20 | 14.07.20 | | 16.09.20 | | | | | | | | | |
| 35. | 241 | अवस्थापना/पुर्नवास खण्ड, नई टिहरी | 08.07.20 | 09.07.20 | 23.07.20 | 25.08.20 | 23.09.20 | | 25.11.20 | 22.12.20 | 19.01.21 | 16.02.21 | 19.03.21 | | | |
| 36. | 242 | सिंचाई खण्ड, नरेन्द्रनगर | 15.05.20 | 30.06.20 | | | | | | | | | | | | |
| 37. | 250 | सिंचाई खण्ड, काशीपुर, उधमसिंह नगर | 13.05.20 | 22.06.20 | | 18.08.20 | 23.09.20 | 13.10.20 | 25.11.20 | 15.12.20 | 14.01.21 | 16.02.21 | 26.03.21 | | | |
| 38. | 251 | सिंचाई खण्ड, रुद्रपुर, ऊधम सिंह नगर | | 11.06.20 | | | 16.09.20 | | | | | | | | | |
| 39. | 260 | सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी | 20.06.20 | 30.06.20 | 15.07.20 | 25.08.20 | 16.09.20 | 15.10.20 | 17.11.20 | 11.12.20 | | | 15.03.21 | | | |
| 40. | 261 | सिंचाई खण्ड, पुरोला, उत्तरकाशी | | | | | | | | | | | | | | |
| 41. | 262 | अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, जोशियाडा, उत्तरकाशी | 13.07.20 | 13.07.20 | 14.07.20 | | | | | | | | 15.03.21 | | | |
| 42. | 266 | अवस्थापना खण्ड, उत्तरकाशी | 13.07.20 | 13.07.20 | | | | | | | | | | | | |
| 43. | 270 | नलकूप खण्ड, रामनगर | 13.05.20 | | | 25.08.20 | 16.09.20 | 13.10.20 | | | | | | | | |
| 44. | 271 | सिंचाई खण्ड, केदारनाथ | 15.05.20 | | 14.07.20 | | | | 12.10.20 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 45. | 272 | सिंचाई खण्ड, धारचुला पिथौरागढ़ | | | 14.07.20 | 18.08.20 | 16.09.20 | 13.10.20 | 21.11.20 | 22.12.20 | 25.01.21 | 02.03.21 | 12.03.21 | |
| 46. | 273 | सिंचाई खण्ड, कपकोट | 25.05.20 | 30.07.20 | 14.07.20 | 18.08.20 | 16.09.20 | 19.10.20 | | | 19.01.21 | 16.02.21 | 15.03.21 | |
| 47. | 274 | सिंचाई खण्ड, थराली, चमोली | | 30.07.20 | | | | 12.10.20 | 26.11.20 | | | | | |
| 48. | 276 | प्रशिक्षण परियोजना कुमाऊ, रुड़की | 13.05.20 | | | 18.08.20 | | | | | | 11.02.21 | | 20.04.21 |
| 49. | 331 | (सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि० (पी०एम०जी०एस०वाई०), अल्मोड़ा | | | | 18.08.20 | | | | | | | 12.03.21 | |
| 50. | 333 | सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि० (पी०एम०जी०एस०वाई०) बागेश्वर | 27.05.20 | 11.06.20 | 14.07.20 | 18.08.20 | | 13.10.20 | | 24.12.20 | 27.01.21 | | | |
| 51. | 334 | सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि० (पी०एम०जी०एस०वाई०) नैनीताल | 27.05.20 | | | 18.08.20 | | | | | | | | |
| 52. | 335 | सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि० (पी०एम०जी०एस०वाई०), चम्पावत | 12.05.20 | | 14.07.20 | 18.08.20 | 16.09.20 | | | 15.12.20 | | | 12.03.21 | |
| 53. | 336 | सिंचाई खण्ड (पी.एम.जी. एस.वाई.), श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल | | | | 18.08.20 | 16.09.20 | | | | | | | |
| 54. | 337 | सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि० (पी०एम०जी०एस०वाई०) कोटद्वार | 19.05.20 | 12.06.20 | | | 23.09.20 | 13.10.20 | | 15.12.20 | | | | |
| 55. | 338 | सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि० (पी०एम०जी०एस०वाई०) पिथौरागढ़ | | | | | | | 17.11.20 | | 13.01.21 | | | |
| 56. | 339 | सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि० (पी०एम०जी०एस०वाई०) रुद्रप्रयाग, | 26.06.20 | 26.06.20 | 14.07.20 | | | 12.10.20 | | | | | | |
| 57. | 341 | सिंचाई खण्ड, १लो०नि०वि० (पी०एम०जी०एस०वाई०) टिहरी | 30.06.20 | | | 25.08.20 | 28.09.20 | | | | 21.01.21 | 11.02.21 | 15.03.21 | |
| 58. | 342 | सिंचाईखण्ड-२,लो०नि०वि० (पी०एम०जी०एस०वाई०) टिहरी | | | 14.07.20 | 01.09.20 | | 13.10.20 | | 28.12.20 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 59. | 343 | सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि० (पी०एम०जी०एस०वाई०) उत्तरकाशी | | 13.07.20 | 14.07.20 | | 05.10.20 | | 17.11.20 | | | 11.02.21 | 31.03.21 | |
| 60. | 349 | सिंचाई खण्ड (पी.एम.जी.एस. वाई.) बैजरा पौड़ी गढ़वाल | | 19.06.20 | | | | | 23.11.20 | | | | | 21.04.21 |
| 61. | 350 | सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि० (पी०एम०जी०एस०वाई०) पुरोला | 27.05.20 | 30.06.20 | 14.07.20 | 18.08.20 | 16.09.20 | 14.10.20 | | | | | | |
| 62. | 351 | सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि० (पी०एम०जी०एस०वाई०) देहरादून | | | | | | | | | | | | |
| 63. | 353 | सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि० (पी०एम०जी०एस०वाई०) लोहाघाट | 19.05.20 | 30.06.20 | 14.07.20 | 18.08.20 | 16.09.20 | | 17.11.20 | | | 16.02.21 | | 20.04.21 |
| 64. | 354 | सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि० (पी०एम०जी०एस०वाई०) जखोली | | | | | | | | | | 11.02.21 | | |
| 65. | 355 | लघुडाल खण्ड, पिथौरागढ़ | | 30.06.20 | 20.07.20 | 25.08.20 | | 14.10.20 | | 22.12.20 | | 16.02.21 | 16.03.21 | |
| 66. | 356 | लघुडाल खण्ड, उत्तरकाशी | | 30.06.20 | | 25.08.20 | 16.09.20 | | | 14.12.20 | 27.01.21 | | 12.03.21 | |
| 67. | 357 | लघुडाल खण्ड, श्रीनगर | 28.05.20 | | | 18.08.20 | | | | | | | | 22.04.21 |
| 68. | 358 | नलकूप खण्ड, टनकपुर | 21.05.20 | 30.06.20 | | 18.08.20 | 16.09.20 | 13.10.20 | | | | 11.02.21 | 12.03.21 | |
| 69. | 359 | नलकूप खण्ड, हरिद्वार | 14.05.20 | | | | | | | 14.12.20 | | | | 19.04.21 |
| 70. | 360 | जल विज्ञान खण्ड | 27.05.20 | | 14.07.20 | | | | | | | | 12.03.21 | |
| 71. | 361 | अवस्थापना पुनर्वास खण्ड | | 30.06.20 | | | | 19.10.20 | | | | | | |
| 72. | 362 | सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि० (पी०एम०जी०एस०वाई०) हल्द्वानी | | | 20.07.20 | 25.08.20 | | 14.10.20 | | | 12.01.21 | | | |

अनुलग्नक 1 (ब) / (प्रस्तर-1 के सन्दर्भ में)
 लघु सिंचाई खण्डों द्वारा विलम्ब से प्रेषित लेखों की सूची
 अप्रैल-2020 से मार्च 2021
 प्राप्ति की निर्धारित तिथि (अगले माह की 10वीं तारीख)

| क्र0स0 | | खण्ड का नाम | अप्रैल | मई | जून | जुलाई | अगस्त | सितम्बर | अक्टूबर | नवम्बर | दिसम्बर | जनवरी | फरवरी | मार्च |
|--------|-----|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 1. | 100 | लघु सिंचाई खण्ड तपोवन रोड, निकट ब्लॉक आफिस, रायपुर, देहरादून | 13.05.20 | 30.06.20 | 27.07.20 | 18.08.20 | 16.09.20 | | | | | | | |
| 2. | 101 | लघु सिंचाई खण्ड, हरिद्वार | | 11.06.20 | | | | | | | | | | |
| 3. | 200 | लघु सिंचाई खण्ड, नैनीताल | 13.05.20 | | 15.07.20 | 25.08.20 | 28.09.20 | | 25.11.20 | | 22.01.21 | 16.02.21 | 12.03.21 | |
| 4. | 201 | लघु सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी | 26.06.20 | 25.06.20 | | 18.08.20 | | 12.10.20 | 25.11.20 | 14.12.20 | | | | |
| 5. | 300 | लघु सिंचाई खण्ड, पौड़ी | 19.05.20 | | 14.07.20 | 18.08.20 | 16.09.20 | | | | 13.01.21 | 15.02.21 | | 19.04.21 |
| 6. | 301 | लघु सिंचाई खण्ड, गोपेश्वर, चमोली | 13.05.20 | | 14.07.20 | 18.08.20 | 16.09.20 | | 17.11.20 | 15.12.20 | 12.01.21 | | 15.03.21 | |
| 7. | 400 | लघु सिंचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग | | | | 18.08.20 | 16.09.20 | | | | | | | 20.04.21 |
| 8. | 401 | लघु सिंचाई खण्ड, बागेश्वर | 30.07.20 | 30.06.20 | 20.07.20 | 18.08.20 | 23.09.20 | 16.10.20 | 17.11.20 | | 14.01.21 | 16.02.21 | 15.03.21 | 20.04.21 |
| 9. | 500 | लघु सिंचाई खण्ड, टिहरी | 19.05.20 | 30.06.20 | 15.07.20 | 25.08.20 | 15.09.20 | | | | | | | |
| 10. | 501 | लघु सिंचाई खण्ड, चम्पावत | 01.06.20 | 30.06.20 | 20.07.20 | | 23.09.20 | 19.10.20 | 17.11.20 | 22.12.20 | 18.01.21 | | 17.03.21 | |
| 11. | 600 | लघु सिंचाई खण्ड, पिथौरागढ़ | | | 25.08.20 | 25.08.20 | 16.09.20 | 26.10.20 | | 01.01.21 | | | | |
| 12. | 601 | लघु सिंचाई खण्ड, उधमसिंह नगर | | 30.06.20 | | | 16.09.20 | | | | | | | |
| 13. | 700 | लघु सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा | | | 20.07.20 | | | | 19.11.20 | 22.12.20 | | | | |

अनुलग्नक 1 (ब) / (प्रस्तर-1 के सन्दर्भ में)
 लोक निर्माण खण्डों द्वारा विलम्ब से प्रेषित लेखों की सूची
 अप्रैल-2020 से मार्च 2021
 प्राप्ति की निर्धारित तिथि (अगले माह की 10वीं तारीख)

| क्र०स० | कोड | खण्ड का नाम | अप्रैल | मई | जून | जुलाई | अगस्त | सितम्बर | अक्टूबर | नवम्बर | दिसम्बर | जनवरी | फरवरी | मार्च |
|--------|-----|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 1. | 001 | प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा | 19.05.20 | | 13.07.20 | 14.08.20 | 15.09.20 | 23.10.20 | 17.11.20 | 23.12.20 | 15.01.21 | 17.02.21 | 15.03.21 | 11.06.21 |
| 2. | 002 | निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा | 19.05.20 | | | | 15.09.20 | | | | | | | 20.04.21 |
| 3. | 003 | निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत | 18.05.20 | | | | 15.09.20 | 13.10.20 | | 16.12.20 | | | | |
| 4. | 004 | प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत | 18.05.20 | 22.06.20 | | 17.08.20 | 14.09.20 | 13.10.20 | | 16.12.20 | | | 15.03.21 | 15.05.21 |
| 5. | 016 | प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, बागेश्वर | 19.05.20 | | 14.07.20 | | 14.09.20 | 13.10.20 | | 16.12.20 | | 15.02.21 | 15.03.21 | 22.04.21 |
| 6. | 026 | प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, गोपेश्वर | 22.05.20 | | 15.07.20 | 17.08.20 | 15.09.20 | | 16.12.20 | 16.12.20 | 12.01.21 | 17.02.21 | | |
| 7. | 027 | प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, कर्णप्रयाग | 22.05.20 | | | 17.08.20 | | | | | | 11.02.21 | 12.03.21 | 20.04.21 |
| 8. | 028 | निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, ऊखीमठ | 13.05.20 | | | 13.08.20 | 14.09.20 | 15.10.20 | 17.11.20 | | | 11.02.21 | 15.03.21 | 19.04.21 |
| 9. | 029 | अस्थाई विद्युत यांत्रिक खण्ड, गोपेश्वर | 25.05.20 | | 13.07.20 | | 15.09.20 | | | 14.12.20 | 13.01.21 | | 12.03.21 | 19.04.21 |
| 10. | 030 | अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि० थराली | 13.06.20 | 13.06.20 | 14.08.20 | 13.08.20 | 15.09.20 | 13.10.20 | 17.11.20 | 21.12.20 | | 17.02.21 | 15.03.21 | 18.06.21 |
| 11. | 031 | अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, गौचर | 10.06.20 | | 15.07.20 | 17.08.20 | 17.09.20 | 14.10.20 | 17.11.20 | 11.12.20 | | | | 19.04.21 |
| 12. | 045 | प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, चम्पावत | 25.05.20 | | | | 15.09.20 | | 17.11.20 | | 15.01.21 | 11.02.21 | 15.03.21 | |
| 13. | 046 | निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लोहाघाट | 23.07.20 | 23.07.20 | 23.07.20 | 19.08.20 | 23.09.20 | | 17.11.20 | 22.12.20 | 18.01.21 | 15.02.21 | 15.03.21 | |
| 14. | 051 | प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून | 25.05.20 | 23.07.20 | | | 15.09.20 | 28.10.20 | | 16.12.20 | 21.01.21 | 01.03.21 | 24.06.21 | 24.06.21 |
| 15. | 052 | अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि० सैहिया | 25.05.20 | 12.06.20 | 13.07.20 | | | | | | | | | |
| 16. | 053 | अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चक्राता | 18.05.20 | | 15.07.20 | | 11.09.20 | | | 11.12.20 | | | | 19.04.21 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 17. | 054 | निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून | 22.05.20 | 12.06.20 | | | 15.09.20 | | | 11.12.20 | | 11.02.21 | | 19.04.21 |
| 18. | 055 | राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि० डोइवाला | 18.05.20 | | 13.07.20 | | | | | | | 12.02.21 | | |
| 19. | 056 | निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, पोखरी, चमोली | 18.05.20 | 15.06.20 | 15.07.20 | 20.08.20 | | | 25.11.20 | | 12.01.21 | | | |
| 20. | 057 | निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लक्सर हरिद्वार | 11.05.20 | | | | 22.09.20 | | | | | 12.02.21 | | 19.04.21 |
| 21. | 071 | प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार | 18.05.20 | | 15.07.20 | 14.08.20 | | | | 16.12.20 | | 12.02.21 | 12.03.21 | 15.06.21 |
| 22. | 072 | वि० एवं यां खण्ड लो० नि० वि० ऋषिकेश | 12.05.20 | | 13.07.20 | 26.08.20 | | 14.10.20 | 20.11.20 | 18.12.20 | 13.01.21 | | | |
| 23. | 073 | अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश | 14.05.20 | 11.06.20 | | | | | | | | | | 20.04.21 |
| 24. | 075 | राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि० रुडकी | 18.05.20 | 11.06.20 | | 14.08.20 | 11.09.20 | | | | | | 15.03.21 | |
| 25. | 091 | प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, नैनीताल | 09.06.20 | 24.06.20 | 13.07.20 | | 17.09.20 | 13.10.20 | | 15.12.20 | | 15.02.21 | 15.03.21 | 21.05.21 |
| 26. | 092 | निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, नैनीताल | 09.06.20 | 15.06.20 | | | 14.09.20 | 13.10.20 | 20.11.20 | | | | 15.03.21 | 21.05.21 |
| 27. | 093 | निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, काशीपुर | 21.05.20 | 15.06.20 | 13.07.20 | 13.08.20 | 14.09.20 | 13.10.20 | 20.11.20 | | 15.01.21 | | | 19.04.21 |
| 28. | 094 | निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, खटीमा | 01.06.20 | | | | 14.09.20 | | | | | | | 22.04.21 |
| 29. | 095 | निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रामनगर | 25.05.20 | | | | 15.09.20 | 13.10.20 | | | | | | |
| 30. | 096 | निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, हल्द्वानी | 25.05.20 | | | 13.08.20 | 14.09.20 | 13.10.20 | | 15.12.20 | | 12.02.21 | 15.03.21 | |
| 31. | 098 | अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, भवाली | 22.05.20 | | 13.07.20 | | 14.09.20 | 14.10.20 | | | | | | 22.04.21 |
| 32. | 100 | राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, हल्द्वानी | 18.05.20 | | | | | 13.10.20 | 25.11.20 | | | 11.02.21 | 12.03.21 | |
| 33. | 120 | प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, पौड़ी | 24.06.20 | 24.06.20 | | | 15.09.20 | | | | 28.12.20 | | | |
| 34. | 121 | प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लैन्सडाउन | 22.05.20 | 15.07.20 | 13.07.20 | | | | | 17.12.20 | | | | 19.04.21 |
| 35. | 122 | निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० दुगड़ा | 08.06.20 | | | | | | | | | 15.02.21 | | |
| 36. | 123 | निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, पौड़ी | 25.05.20 | | | | 14.09.20 | | | | | | | 19.04.21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 37. | 124 | निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, श्रीनगर | | | | | 14.09.20 | | | | | | | | 19.05.21 |
| 38. | 125 | निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, बैजरों | 22.05.20 | | | | 15.09.20 | | | | 13.01.21 | | | | |
| 39. | 126 | अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि० श्रीनगर | 18.05.20 | | 13.07.20 | 19.08.20 | 15.09.20 | 14.10.20 | | | | 15.02.21 | 15.03.21 | | |
| 40. | 140 | प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, पिथौरागढ़ | 18.05.20 | | | | 14.09.20 | 13.10.20 | | 15.12.20 | | 15.02.21 | | 06.07.21 | |
| 41. | 141 | प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, डीडीहाट | | | | | 15.09.20 | 13.10.20 | | | | 11.02.21 | | | |
| 42. | 142 | निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, अस्कोट | | 14.05.20 | | 20.08.20 | 23.09.20 | | | | | 15.02.21 | 14.06.21 | 14.06.21 | |
| 43. | 143 | विधुत यांत्रिक खण्ड, पिथौरागढ़ | 05.06.20 | 14.05.20 | 15.07.20 | | 15.09.20 | 13.10.20 | 25.11.20 | | | | | 19.04.21 | |
| 44. | 144 | अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, बेरीनाग | 19.05.20 | | 15.07.20 | 20.08.20 | 15.09.20 | 13.10.20 | | 15.12.20 | | 15.02.21 | | 20.04.21 | |
| 45. | 160 | प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, रुद्रप्रयाग | | | | | 15.09.20 | | | | | | 15.03.21 | | |
| 46. | 170 | प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, नई टिहरी | | | | | 14.09.20 | | | | 18.01.21 | 15.02.21 | 15.03.21 | 20.04.21 | |
| 47. | 171 | निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, नई टिहरी | 05.06.20 | | | | | 20.11.20 | 20.11.20 | | | | | | |
| 48. | 172 | निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, चम्बा | | | | | 11.09.20 | | | | | | 15.03.21 | 22.04.21 | |
| 49. | 173 | निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नरेन्द्रनगर | 15.05.20 | 15.06.20 | | | 11.09.20 | | | 15.12.20 | | | 15.03.21 | | |
| 50. | 174 | अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, घनसाली | 09.06.20 | | | | 14.09.20 | 13.10.20 | | | | 12.02.21 | 15.03.21 | 20.04.21 | |
| 51. | 175 | अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थत्यूड़ | 18.05.20 | | 17.07.20 | | | 22.10.20 | | 28.12.20 | 25.01.21 | 11.02.21 | 22.03.21 | 15.05.21 | |
| 52. | 200 | प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, रुद्रप्रयाग | 09.06.20 | | 13.07.20 | 13.08.20 | 15.09.20 | | 20.11.20 | 16.12.20 | | 11.02.21 | 15.03.21 | 21.05.21 | |
| 53. | 202 | निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, गुप्तकाशी | 10.06.20 | | 22.07.20 | 25.08.20 | 17.09.20 | 15.10.20 | 20.11.20 | 15.12.20 | 14.01.21 | 15.02.21 | 15.03.21 | | |
| 54. | 210 | प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० उत्तरकाशी | 18.05.20 | | | | | 13.10.20 | | | | | | 19.04.21 | |
| 55. | 211 | प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, भटवाड़ी | 12.06.20 | | | | | | | | | | | 19.04.21 | |
| 56. | 213 | निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, पुरोला | 18.05.20 | | 17.07.20 | 25.08.20 | 17.09.20 | 16.10.20 | 17.11.20 | 16.12.20 | 15.01.21 | 12.02.21 | 15.03.21 | 21.05.21 | |
| 57. | 216 | निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी | 21.07.20 | 21.07.20 | 13.07.20 | | 11.09.20 | | | 16.12.20 | | | 15.03.21 | 21.05.21 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 58. | 217 | राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बड़कोट | 05.06.20 | | | | | | | 11.12.20 | | | 13.03.21 | |
| 59. | 219 | निर्माण खण्ड (ए०डी०बी०), लो०नि०वि० देहरादून | | | | | 15.09.20 | | | | | | | |
| 60. | 220 | निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रुड़की | | | 13.07.20 | | | | | | 13.01.21 | | 15.03.21 | |
| 61. | 221 | निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, बड़कोट | 13.05.20 | | 13.07.20 | | | | | | | | 15.03.21 | |
| 62. | 222 | राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, लोहाघाट | 13.05.20 | | | | 15.09.20 | | | | | | | |
| 63. | 223 | निर्माण खण्ड-२, लो०नि०वि०, नैनीताल | 19.05.20 | 11.08.20 | 13.07.20 | | 23.09.20 | 14.10.20 | | 16.12.20 | 15.01.21 | 15.03.21 | 22.03.21 | 15.05.21 |
| 64. | 224 | निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, कपकोट | 19.05.20 | | 13.07.20 | | 16.09.20 | | | 15.12.20 | 13.01.21 | 15.02.21 | 22.03.21 | 15.05.21 |
| 65. | 225 | राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, धूमाकोट | 19.05.20 | | | | 16.09.20 | 13.10.20 | | | 18.01.21 | | | |
| 66. | 226 | निर्माण खण्ड (ए०डी०बी०), लो०नि०वि०, गौचर | 20.05.20 | | 13.07.20 | | 16.09.20 | | | 21.12.20 | 18.01.21 | 19.02.21 | 19.03.21 | 25.05.21 |
| 67. | 227 | वि० एवं यां खण्ड लो० नि० वि० बाजपुर | 18.05.20 | | 15.07.20 | | 14.09.20 | | | | | | | 25.05.21 |
| 68. | 228 | निर्माण खण्ड, लो० नि०वि० अल्मोड़ा | 19.05.20 | | 15.07.20 | | 15.09.20 | 26.10.20 | | 15.12.20 | 12.01.21 | | | 15.05.21 |
| 69. | 229 | निर्माण खण्ड (ए०डी०बी०), लो०नि०वि०, पौड़ी | 18.05.20 | | 15.07.20 | | 16.09.20 | | | | | | 15.03.21 | |
| 70. | 230 | निर्माण खण्ड (ए०डी०बी०), लो०नि०वि०, टिहरी | 21.06.20 | 21.06.20 | 13.07.20 | 14.08.20 | 15.09.20 | 15.10.20 | 17.11.20 | 15.12.20 | 18.01.21 | | 17.03.21 | 20.04.21 |
| 71. | 231 | निर्माण खण्ड (ए०डी०बी०), लो०नि०वि०, पिथौरागढ़ | 10.06.20 | 21.06.20 | 17.07.20 | 17.08.20 | 15.09.20 | 19.10.20 | 17.11.20 | 28.12.20 | | 19.02.21 | 19.04.21 | 19.04.21 |
| 72. | 232 | निर्माण खण्ड-२ (ए०डी०बी०), लो०नि०वि०, दुगड़ा | 13.06.20 | | 15.07.20 | | 16.09.20 | | | | | | | |
| 73. | 233 | निर्माण खण्ड (ए०डी०बी०), लो०नि०वि०, रुद्रपुर | 21.05.20 | | 17.07.20 | 14.08.20 | 15.09.20 | | | | | 15.02.21 | | 19.04.21 |
| 74. | 234 | निर्माण खण्ड (ए०डी०बी०), लो०नि०वि०, उत्तरकाशी | 21.07.20 | | | | | 13.10.20 | | | 12.01.21 | | | 20.04.21 |
| 75. | 235 | निर्माण खण्ड (ए०डी०बी०), लो०नि०वि०, बागेश्वर | 18.05.20 | | | | 15.09.20 | | 17.11.20 | 15.12.20 | | | | |
| 76. | 236 | विद्युत एवं यात्रिक खण्ड, लोक निर्माण विभाग देहरादून | 21.05.20 | 15.06.20 | | | | 14.10.20 | | 11.12.20 | | | | |
| 77. | 237 | वि०/यां खण्ड, लो० नि० वि० भीमताल | 13.05.20 | 15.06.20 | 13.07.20 | | 23.09.20 | 13.10.20 | | 15.12.20 | | 12.02.21 | | 20.04.21 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 78. | 238 | राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो० नि० वि०, रानीखेत | 11.05.20 | | 13.07.20 | | 15.09.20 | 13.10.20 | | | | 15.02.21 | | |
| 79. | 239 | अस्थाई खण्ड लो० नि० वि० गुप्तकाशी | 10.06.20 | | 22.07.20 | 25.08.20 | 28.09.20 | | | 15.12.20 | | 15.02.21 | | |
| 80. | 240 | निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०, पावौ | 22.05.20 | 13.07.20 | 22.07.20 | 13.08.20 | 14.09.20 | 13.10.20 | | 15.12.20 | | | | |
| 81. | 241 | राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो० क निर्माण विभाग, श्रीनगर | 19.05.20 | | 13.07.20 | | 14.09.20 | | | | | 12.02.21 | | |
| 82. | 242 | राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो० क निर्माण विभाग, रुद्रप्रयाग | | 15.06.20 | | | 14.09.20 | | | | 12.01.21 | | 15.03.21 | |
| 83. | 243 | निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०, गैरसैण | 25.05.20 | 15.06.20 | 21.07.20 | 14.08.20 | 15.09.20 | | | | | | 12.03.21 | |
| 84. | 330 | निर्माण खण्ड (पी० एम० जी० एस० वाई), लो० नि० वि०, कालसी | | | | | 16.09.20 | | | | | | | |
| 85. | 332 | निर्माण खण्ड (पी० एम० जी० एस० वाई), लो० नि० वि०, पोखरी | 19.05.20 | | 15.07.20 | 14.08.20 | | | | | | 12.02.21 | 12.07.21 | |
| 86. | 340 | निर्माण खण्ड (पी० एम० जी० एस० वाई), लो० नि० वि०, सल्ट | 19.05.20 | | 17.07.20 | 14.08.20 | 15.09.20 | 13.10.20 | | 15.12.20 | 15.01.21 | 25.02.21 | | |
| 87. | 344 | निर्माण खण्ड (पी० एम० जी० एस० वाई), लो० नि० वि०, अल्मोडा | 20.05.20 | | 14.07.20 | | | | | 16.12.20 | 15.01.21 | | | 12.07.21 |
| 88. | 345 | निर्माण खण्ड पी० एम० जी० एस० वाई, लो० नि० वि०, पिथौरागढ़ | 20.05.20 | | | 14.08.20 | 15.09.20 | | | | | | 12.03.21 | |
| 89. | 346 | निर्माण खण्ड पी० एम० जी० एस० वाई, लो० नि० वि०, | | | | | 15.09.20 | | 17.11.20 | | | | | |
| 90. | 347 | पी० एम० जी० एस० वाई, लो० नि० वि०, सतपुली, कोटद्वार | 09.06.20 | 15.06.20 | | | 15.09.20 | | | | | | | |
| 91. | 348 | पी० एम० जी० एस० वाई, लो० नि० वि०, नरेन्द्र नगर | 18.05.20 | | | | 15.09.20 | | | | | 12.02.21 | | |
| 92. | 355 | पी० एम० जी० एस० वाई, लो० नि० वि०, कीर्तिनगर | 18.05.20 | 15.06.20 | 22.07.20 | 28.09.20 | 28.09.20 | 19.10.20 | 17.11.20 | | | 15.02.21 | 12.03.21 | 12.07.21 |
| 93. | 357 | पी० एम० जी० एस० वाई, पी० आई० य०, लो० नि० वि०, कर्णप्रयाग | 27.07.20 | 27.07.20 | 27.07.20 | 14.08.20 | | | 17.11.20 | | | 15.02.21 | 12.03.21 | 12.07.21 |

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1. | 010 | ग्रामीण निर्माण विभाग, अल्मोड़ा | | | 13.07.20 | 14.08.20 | 15.09.20 | 27.10.20 | 17.11.20 | 15.12.20 | 12.01.21 | 15.02.21 | 15.03.21 | 12.07.21 |
| 2. | 020 | ग्रामीण निर्माण विभाग, बागेश्वर | 11.05.20 | | 13.07.20 | 13.08.20 | | | 12.11.20 | | | | | |
| 3. | 030 | ग्रामीण निर्माण विभाग, चमोली | 28.05.20 | | 1307.20 | 13.08.20 | 11.09.20 | | | | 12.01.21 | | | 20.04.21 |
| 4. | 040 | ग्रामीण निर्माण विभाग, रुद्रप्रयाग | 11.05.20 | 12.06.20 | | | 15.09.20 | | 12.11.20 | | | | | |
| 5. | 050 | ग्रामीण निर्माण विभाग, देहरादून | 22.05.20 | | | | 21.09.20 | 16.10.20 | | 15.12.20 | | | | 20.04.21 |
| 6. | 060 | ग्रामीण निर्माण विभाग, हरिद्वार | 01.06.20 | | 30.07.20 | 13.08.20 | | 12.10.20 | 17.11.20 | | 12.01.21 | | | 20.04.21 |
| 7. | 070 | ग्रामीण निर्माण विभाग, नैनीताल | 19.05.20 | | | | 14.09.20 | | 11.11.20 | | 12.01.21 | | | 19.04.21 |
| 8. | 080 | ग्रामीण निर्माण विभाग, (पि० / यां०) देहरादून | 12.05.20 | | | | | | | | | | | |
| 9. | 090 | ग्रामीण निर्माण विभाग, पौड़ी | 10.06.20 | | 13.07.20 | 17.08.20 | 15.09.20 | | 12.11.20 | | | 11.02.21 | | |
| 10. | 100 | ग्रामीण निर्माण विभाग, चम्पावत | 18.05.20 | | 13.07.20 | 17.08.20 | 15.09.20 | | 11.11.20 | 16.12.20 | | | | 19.04.21 |
| 11. | 110 | ग्रामीण निर्माण विभाग, पिथौरागढ़ | 22.05.20 | 19.06.20 | 13.07.20 | | 23.09.20 | 13.10.20 | 12.11.20 | | | | 12.03.21 | |
| 12. | 130 | ग्रामीण निर्माण विभाग, टिहरी | 18.05.20 | 26.06.20 | | 17.08.20 | 11.09.20 | | 11.11.20 | | | | | 20.04.21 |
| 13. | 150 | ग्रामीण निर्माण विभाग, उदयमसिंहनगर | 22.05.20 | | 13.07.20 | | 15.09.20 | 13.10.20 | 12.11.20 | | 14.01.21 | | | 19.04.21 |
| 14. | 170 | ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तरकाशी | 19.06.20 | 19.05.20 | 28.07.20 | 15.09.20 | 15.09.20 | 20.10.20 | | 11.12.20 | | | 12.03.21 | 20.04.21 |
| 15. | 180 | ग्रामीण निर्माण विभाग, कोटद्वार | 19.05.20 | | | | 14.09.20 | | | | | | | |
| 16. | 190 | ग्रामीण निर्माण विभाग, घनसाली | 25.05.20 | 19.05.20 | | | 14.09.20 | | | | | | | |
| 17. | 200 | ग्रामीण निर्माण विभाग, (अस्थाई), डीडीहाट | 25.05.20 | 26.06.20 | 13.07.20 | 25.08.20 | 15.09.20 | 13.10.20 | 11.11.20 | | 15.01.21 | 12.02.21 | | |
| 18. | 210 | ग्रामीण निर्माण विभाग, (अस्थाई), भिकियासैण्ड | 22.05.20 | | | 14.08.20 | 15.09.20 | 13.10.20 | 12.11.20 | 15.12.20 | | | 12.03.21 | 19.04.21 |
| 19. | 220 | ग्रामीण निर्माण विभाग, (पी०एम०जी०एस०वाई), कर्णप्रयाग | 10.06.20 | | | 14.08.20 | 15.09.20 | | 12.11.20 | | | | | |
| 20. | 230 | ग्रामीण निर्माण विभाग, (पी०एम०जी०एस०वाई), डीडीहाट | 29.05.20 | | | | 15.09.20 | 13.10.20 | 12.11.20 | | | | | 19.04.21 |
| 21. | 240 | ग्रामीण निर्माण विभाग,, पी०एम०जी०एस०वाई), कपकोट | 11.05.20 | | | | | | | | | | | |

अनुलग्नक-2
(प्रस्तर-3 के सन्दर्भ में)

2020-21 के अंत में सिंचाई खण्डों के जमा के अन्तर्गत ऋणात्मक अवशेष।

| क्रमांक | बी0एल0सी0 कोड | खण्ड का नाम | अवशेष (धनराशि रु. में) |
|---------|------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 1. | 069 | अवस्थापना खण्ड, डाकपत्थर | -8868718.14 |
| 2. | 129 | नलकूप खण्ड, रुड़की | -305450.00 |
| 3. | 135 | अवस्थापना खण्ड (पुनर्वास), ऋषिकेश | -27145237.00 |
| योग | | | -36319405.14 |

अनुलग्नक-3
(प्रस्तर-4 के सन्दर्भ में)

वित्तीय वर्ष 2020-21 के समाप्ति पर नकद परिशोधन उचन्त लेखे में बड़ी मात्रा में लम्बित धनराशियों का खण्डवार विवरण:-

| क्रम सं० | खण्ड का नाम | धनराशि रु. में |
|----------|-----------------------------------|--------------------|
| 1. | सिंचाई खण्ड, रामनगर, नैनीताल | 1515872.00 |
| 2. | नलकूप खण्ड, हल्द्वानी | 750610.22 |
| 3. | सिंचाई खण्ड, काशीपुर | 2541214.35 |
| 4. | नलकूप खण्ड, बाजपुर | 5686536.00 |
| 5. | अवस्थापना खण्ड, उत्तरकाशी | 489437.00 |
| 6. | सिंचाई खण्ड, नैनीताल | 296560.72 |
| 7. | निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, उखीमठ | 75487.62 |
| 8. | प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०, नैनीताल | 4650739.87 |
| योग | | 16006457.78 |

अनुलग्नक-4
(प्रस्तर-5 के सन्दर्भ में)

वित्तीय वर्ष 2020-21 के समाप्ति पर सामग्री क्रय परिशोधन उचन्त लेखे में बड़ी मात्रा में लम्बित धनराशियों का खण्ड वार विवरण:-

| क्रम सं० | खण्ड का नाम | धनराशि रु. में |
|----------|---|--------------------|
| 1. | अनुसंधान एवं अवस्थापना खण्ड, देहरादून | 23848095 |
| 2. | अवस्थापना खण्ड, उत्तरकाशी | 742569 |
| 3. | नलकूप खण्ड, हल्द्वानी | 68822 |
| 4. | सिंचाई खण्ड, काशीपुर | 199492 |
| 5. | सिंचाई खण्ड, रामनगर, नैनीताल | 856098.15 |
| 6. | सिंचाई खण्ड, नैनीताल | 91933 |
| 7. | निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, उखीमठ, रुद्रप्रयाग | 33300 |
| 8. | प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०, नैनीताल | 459000.00 |
| योग | | 26299309.15 |

अनुलग्नक-5
(प्रस्तर-6 के सन्दर्भ में)

निर्माण खण्डों से प्राप्त प्रपत्र-51 के भाग-1 में अनिस्तारित रोकड़ (Cash) की सूची:-

| चालानों की संख्या | अवधि | कुल धनराशि (रु.) |
|---|---------------------------------|------------------|
| अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सैइया कालसी | | |
| 29 | नवम्बर 2007 से मार्च 2019 | -171954.00 |
| निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, काशीपुर | | |
| 03 | दिसम्बर 2012 से जुलाई 2016 | 3465434.00 |
| निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, खटीमा | | |
| 02 | दिसम्बर 2014 से जुलाई-2016 तक | 4884100.00 |
| अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर | | |
| 09 | जनवरी 2007 से नवम्बर 2018 तक | 4515678.00 |
| निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अस्कोट | | |
| 26 | अप्रैल-2008 से सितम्बर-2013 तक | 27627022.00 |
| प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुद्रप्रयाग | | |
| 04 | जनवरी 2001 से मई 2013 तक | 1192180.00 |
| निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्बा | | |
| 07 | दिसम्बर-2015 से दिसम्बर-2018 तक | -4819740.00 |
| प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर | | |
| 14 | अगस्त-2001 से फरवरी-2018 तक | -8601651.00 |
| निर्माण खण्ड (ए0डी0बी0), लोक निर्माण विभाग, पौडी | | |
| 17 | फरवरी-2016 से दिसम्बर-2018 तक | -668.00 |
| विद्युत एवं यात्रिक खण्ड, लोक निर्माण विभाग देहरादून | | |
| 09 | मार्च-2014 से मार्च-2019 तक | 1661980.00 |
| विद्युत एवं यात्रिक खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भीमताल | | |
| 04 | अप्रैल-2018 से मार्च-2019 तक | -688895.00 |
| राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर | | |
| 01 | मार्च-2019 | 8850.00 |
| ग्रामीण निर्माण विभाग, चमोली | | |
| 21 | जुलाई-2003 से मार्च-2019 तक | -12903215.00 |

नोट : उपरोक्त अनिस्तारित रोकड मार्च 2019 तक की दर्शायी गयी है। चूंकि सचिव, वित्त अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0-306/XXVI(6)/एक/2018/2019 दिनांक 05 सितम्बर 2019 के बिन्दु (क) 6 के अनुसार - लोक निर्माण प्रेषण से संबंधित लेखाशीर्ष 8782-00-102 को समाप्त कर दिया गया।

अनुलग्नक-6
(प्रस्तर-6 के सन्दर्भ में)

निर्माण खण्डों से प्राप्त प्रपत्र-51 के भाग-2 में अनिस्तारित चैकों (Cheque) की सूची:-

| चैकों की संख्या | अवधि | कुल धनराशि (रु.) |
|--|------------------------------|------------------|
| निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, काशीपुर | | |
| 12 | जून-2006 से जून-2016 तक | 185470.00 |
| निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, खटीमा | | |
| 11 | मार्च-2003 से फरवरी-2015 तक | -53066.00 |
| अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर | | |
| 04 | फरवरी-2008 से मार्च-2017 तक | 10168.00 |
| निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अस्कोट | | |
| 25 | जनवरी-2003 से मार्च 2014 तक | 1556508.00 |
| प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुद्रप्रयाग | | |
| 07 | मार्च-2009 से फरवरी-2013 | 69761.00 |
| निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्बा | | |
| 06 | नवम्बर-2011 से मार्च-2017 तक | 13101.00 |
| प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर | | |
| 17 | अवटूबर-2007 से मई-2017 तक | 22417.00 |
| राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लोहाघाट | | |
| 05 | अगस्त-2008 से अवटूबर-2013 तक | 35742.00 |
| निर्माण खण्ड-2 (ए०डी०बी०), लो०नि०वि., अल्मोड़ा | | |
| 01 | मार्च-2013 | 10000.00 |
| निर्माण खण्ड (ए०डी०बी०), लोक निर्माण विभाग, पौड़ी | | |
| 02 | मार्च-2014 से मई-2017 तक | 28461.00 |
| विद्युत एवं यात्रिक खण्ड, लोक निर्माण विभाग देहरादून | | |
| 10 | जून-2013 से सितम्बर- 2016 | 80853.00 |
| ग्रामीण निर्माण विभाग, बागेश्वर | | |
| 03 | जनवरी-2007 से नवम्बर-2014 तक | 5707.00 |
| ग्रामीण निर्माण विभाग, चमोली | | |
| 01 | अक्टूबर-2001 | 9447.00 |

नोट : उपरोक्त अनिस्तारित चैक मार्च 2019 तक के दर्शाये गये हैं। चूंकि सचिव, वित्त अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0-306/XXVI(6)/एक/2018/2019 दिनांक 05 सितम्बर 2019 के बिन्दु (क) 6 के अनुसार - लोक निर्माण प्रेषण से संबंधित लेखाशीर्ष 8782-00-102 को समाप्त कर दिया गया।

अनुलग्नक-7
(प्रस्तर-8, भाग-1 के सम्बन्ध में)

31 मार्च 2019 के विभिन्न प्रखण्डों के विरुद्ध लम्बित प्रकीर्ण अग्रिम जिनका निस्तारण किया जाना है:-

| क्रम संख्या | खण्ड का नाम | धनराशि (रु. में) |
|-------------|---|------------------|
| 1. | निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा | 1987041 |
| 2. | प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, चम्पावत | 1004932 |
| 3. | निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, नई टिहरी | 989098.57 |
| 4. | निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, बड़कोट | 476768 |
| 5. | निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रुड़की | 124263 |
| 6. | अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, थत्यूड़ | 4061735.80 |
| 7. | निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, पौड़ी | 6734088 |
| 8. | रा०रा०मार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत | 15112 |
| 9. | प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, नई टिहरी | 8811260 |
| 10. | निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी | 6032670 |
| 11. | रा०रा०मार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, धूमाकोट | 2204528 |
| 12. | निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, पोखरी | 2204670 |
| 13. | ग्रामीण निर्माण विभाग, पौड़ी | 1220564 |
| 14. | निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, पाबौ | 2446945 |
| 15. | अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, कीर्तिनगर | 3167466 |
| 16. | निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, कपकोट | 23449149 |
| 17. | ग्रामीण निर्माण विभाग, उधमसिंह नगर | 655453 |
| 18. | निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, काशीपुर | 7721338 |
| 19. | अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, चक्रराता | 8065340 |
| 20. | निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून | 668662 |
| 21. | प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०, भटवाड़ी | 21402330 |
| 22. | अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, बेरीनाग | 46174955.98 |
| 23. | निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, दुगड़ा | 35362548 |
| 24. | अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, सहिया | 6538934.35 |
| 25. | प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी | 5895669 |
| 26. | विद्युत एवं यांत्रिक खण्ड, लो०नि०वि०, गोपेश्वर, चमोली | 398565 |
| 27. | निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत | 3413738.36 |
| 28. | निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून | 9780521 |
| 29. | ग्रामीण निर्माण विभाग, चमोली | 902668.36 |
| 30. | निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग | 2325535 |
| 31. | निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रामनगर | 11568104 |
| 32. | प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०, गोपेश्वर, चमोली | 4579884.31 |

| | | |
|-----|--|------------|
| 33. | ग्रामीण निर्माण विभाग, नई टिहरी | 174716.16 |
| 34. | रा०रा०मार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, लोहाघाट | 161485 |
| 35. | निर्माण खण्ड-२, लो०नि०वि०, देहरादून | 1454321 |
| 36. | रा०रा०मार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, बड़कोट | 3977275 |
| 37. | प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०, पौड़ी | 8226544 |
| 38. | प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०, रुद्रप्रयाग | 378585.37 |
| 39. | निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, नैनीताल | 6332395 |
| 40. | ग्रामीण निर्माण विभाग, पिथौरागढ़ | 895731 |
| 41. | निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, बैजरों | 30708525 |
| 42. | निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, गैरसैण | 4457272 |
| 43. | निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, श्रीनगर | 3707742 |
| 44. | प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत | 33055495 |
| 45. | निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, नरेन्द्रनगर | 9120128 |
| 46. | निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, गौचर | 3162585 |
| 47. | प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०, नैनीताल | 7088678 |
| 48. | प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०, डीडीहाट | 2666407 |
| 49. | विद्युत एवं यांत्रिक खण्ड, ग्रामीण निर्माण विभाग, देहरादून | 144249 |
| 50. | अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश | 5170594 |
| 51. | निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लैंसडाउन | 6051554 |
| 52. | ग्रामीण निर्माण विभाग, नैनीताल | 988133.87 |
| 53. | अवस्थापना खण्ड उत्तरकाशी | 8370589.50 |
| 54. | अवस्थापना (पुर्नवास) खण्ड, ऋषिकेश | 16692080 |
| 55. | नलकूप खण्ड, रुड़की | 83687.70 |
| 56. | स्थापना खण्ड, रुड़की | 281529 |
| 57. | सिंचाई खण्ड, काशीपुर | 556715 |
| 58. | लघु सिंचाई, नैनीताल | 749207.55 |
| 59. | सिंचाई खण्ड, पिथौरागढ़ | 1608399 |
| 60. | जमरानी बांध निर्माण खण्ड-२, हल्द्वानी | 815632.40 |
| 61. | सिंचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग | 406910 |
| 62. | सिंचाई खण्ड, रुद्रपुर | 308781.86 |
| 63. | सिंचाई कार्यशाला खण्ड, रुड़की | 9052647.01 |
| 64. | परिकल्प खण्ड, रुड़की | 8642 |
| 65. | सिचाई खण्ड, श्रीनगर गढ़वाल | 4778816.16 |
| 66. | अवस्थापना (पुर्नवास) खण्ड, नई टिहरी | 6077562.24 |
| 67. | सिंचाई निर्माण खण्ड, कालसी | 4974936.76 |
| 68. | सिंचाई खण्ड, बागेश्वर | 540219 |
| 69. | लघु सिंचाई खण्ड, गोपेश्वर | 110000 |
| 70. | नलकूप खण्ड, बाजपुर | 242756.55 |

| | | |
|-----|------------------------------|-----------|
| 71. | सिंचाई खण्ड, सितारगंज | 267992 |
| 72. | सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी | 181489 |
| 73. | सिंचाई खण्ड, दुगड़ा | 1972818 |
| 74. | सिंचाई खण्ड, नरेन्द्रनगर | 676620.88 |
| 75. | परियोजना खण्ड, ऋषिकेश | 241928772 |
| 76. | सिंचाई खण्ड, रामनगर, नैनीताल | 173564 |
| 77. | सिंचाई खण्ड, लौहाघाट | 680997 |
| 78. | नलकूप खण्ड, हल्द्वानी | 4379649 |
| 79. | सिंचाई खण्ड, नई टिहरी | 397690 |
| 80. | सिंचाई खण्ड, नैनीताल | 2469400 |
| 81. | सिंचाई खण्ड, चमोली | 186056.83 |
| 82. | सिंचाई खण्ड, थराली | 1435176 |

अनुलग्नक-8
(प्रस्तर-1, भाग-2 के सन्दर्भ में)

अभियन्त्रण विभागों के प्रखण्डों/कार्यालयों का नाम, जिनके वर्ष 2020-21 में जारी हुए लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर दिनांक 31.03.2021 तक प्राप्त नहीं हुए :—

| क्र.सं. | निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | खण्ड का नाम |
|---------|---------------------------|--|
| | | वर्ष 2020-21 में लेखापरीक्षित लोक निर्माण विभाग के किसी भी इकाई का प्रथम उत्तर दिनांक 31.03.2021 तक प्राप्त नहीं हुआ था। |

अनुलग्नक-9
(प्रस्तर-2, भाग-2 के सन्दर्भ में)

स्थानीय निरीक्षण (वर्ष 2020-21) के दौरान पायी गयी महत्वपूर्ण अनियमिताये:-

| क्र. सं. | खण्ड का नाम | निरीक्षण प्रतिवेदन सं | महत्वपूर्ण अनियमितता एवं धनराशि |
|----------|---|-----------------------|--|
| 1 | विभागाध्यक्ष / प्रमुख अभियंता | 004/2020-21 | लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड राज्य की शीर्ष एवं अग्रणी निर्माण संस्था होने के बावजूद भण्डारी बाग फ्लाई ओवर (ROB) का कार्य एक अन्य कार्यदायी संस्था (EPIL) को सौंपा जाना एवं स्वीकृति के 8 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी कार्य प्रारम्भ न किया जा सकना जबकि लागत में ₹0 122.63 लाख की बढ़ोत्तरी होना तथा साथ ही जनमानस को सुगम यातायात के लाभ से वंचित रखना। |
| 2 | मुख्य अभियंता, देहरादून | 008/2020-21 | विभागीय शिथिलता एवं अनुश्रवण में कर्मी के कारण पुनरीक्षित स्वीकृति का शासन से स्वीकृत न होना एवं वित्तीय नियमों के विपरीत स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय होना। |
| 3 | अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खण्ड, लोनिवी, देहरादून | 015/2020-21 | 10 किमी मोटर मार्ग निर्माण के सापेक्ष मात्र 1.50 किमी. मार्ग निर्माण (मात्र पहाड़ कटान) पर ₹0 118.31 लाख व्यय होने के बाद कार्य अवरुद्ध होना। |
| | " | | प्रस्तर 2: वित्तीय स्वीकृति के 11 वर्षों बाद भी अपूर्ण रहने तथा वित्तीय स्वीकृति से ₹0 41.29 लाख के अधिक व्यय करते हुए ₹0 42.68 लाख के लंबित भुगतान व पुनरीक्षित आगणन में आपत्तियों का निराकरण वर्तमान तक न किया जाना। |
| 4 | अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, डोईवाला | 018/2020-21 | प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त चेनेजों से इतर चेनेजों में बगैर सर्वे एवं तकनीकि स्वीकृति प्राप्त चेनेजों में कार्य निष्पादन किए जाने के फलस्वरूप परिहार्य व्यय। (₹0 703.05 लाख) |
| | " | | उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के विरुद्ध अनुबंध में शर्त रखे जाने के कारण ठेकेदार को ₹0 123.68 लाख का अनियमित भुगतान। |
| 5 | अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खण्ड, लोनिवी, उत्तरकाशी | 038/2020-21 | ठेकेदार के देयकों से रॉयलटी की धनराशि ₹030.24 लाख की कम कटौती किया जाना। |
| 6 | अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोनिवी, टिहरी | 042/2020-21 | अनुबंध की शर्तों के विपरीत ठेकेदार पर ₹0 13.50 करोड़ का अर्थदंड न लगा कर अनुचित लाभ दिया जाना। |
| | " | | ₹0 18.09 करोड़ की सामग्री का लगभग विगत 12 वर्षों उपयोग न होने के कारण निष्प्रयोज्य हो जाने पर शासकीय हानि। |
| 7 | अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खण्ड, लोनिवी, टिहरी | 049/2020-21 | 10 किमी मोटर मार्ग निर्माण के सापेक्ष मात्र 1.50 किमी. मार्ग निर्माण (मात्र पहाड़ कटान) पर ₹0 118.31 लाख व्यय होने के बाद कार्य अवरुद्ध होना। |
| 8 | अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, श्रीनगर | 052/2020-21 | ठेकेदार से Liquidated Damage के रूप में वसूल की गई धनराशि पर ₹0 6547668/- की जी.एस.टी. की वसूली न किया जाना |

| | | | |
|----|---|-------------|--|
| 9 | अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, नरेन्द्रनगर | 054/2020-21 | कार्य अपूर्ण रहने के कारण धनराशि रु० 180.69 लाख का अवरुद्ध रहना। |
| 10 | अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी | 059/2020-21 | विविध अग्रिमों धनराशि रु० 66.85 लाख की वसूली लम्बित रहना। |
| 11 | अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०, लैंसडाउन | 062/2020-21 | विभागीय शिथिलता एवं वित्तीय नियमों के विपरीत वित्तीय स्वीकृति से अधिक व्यय (कुल व्यय 124.34 लाख) के उपरांत भी कार्य का 9 वर्षों से भी अधिक समय से अपूर्ण रहना। |
| 12 | अधिशासी अभियंता, अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, थत्यूड़ | 067/2020-21 | खण्ड द्वारा वित्तीय नियमावली के विपरीत प्राविधिक स्वीकृति से अधिक व्यय होने के बाद भी आंशिक कार्य किया जाना। |
| 13 | अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, पुरोला | 080/2020-21 | वित्तीय नियमों का पालन न करते हुए कार्य के निष्पादन में रु० 117.19 लाख व्यय के उपरांत भी कार्य का अपूर्ण एवं अवरुद्ध रहने का प्रकरण। (B) वित्तीय नियमों का उल्लंघन करते हुए कार्य का निष्पादन एवं कार्य समयावधि के अंतर्गत पूर्ण न होने (10 माह से भी अधिक समय) पर भी ठेकेदार से रूपये 24.40 लाख के अर्थदंड की वसूली का लम्बित रहना। |
| 14 | अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, धूमाकोट | 089/2020-21 | वित्तीय नियमों का पालन न करते हुए कार्य के निष्पादन में रु० 768.00 लाख की धनराशि का निष्प्रयोज्य रहना। |
| | " | | खण्ड में कार्यरत 26 कार्मिकों का त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण कर वेतन भत्तों का भुगतान किया जाना। |
| 15 | अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, बडकोट | 093/2020-21 | भूमि का स्वामित्व प्राप्त किये बिना कार्य प्रारम्भ किये जाने के परिणामस्वरूप रु० 2.21 करोड़ का निष्फल व्यय। |
| 16 | अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, श्रीनगर | 096/2020-21 | वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का अनुपालन न किए जाने के परिणामस्वरूप 1203.78 लाख की धनराशि व्यय करने के उपरांत भी स्वीकृति के 8 वर्ष बाद भी डुंगरीपंथ-छातीखाल-खेड़ाखाल मोटर मार्ग के किमी 1 से 15.92 किमी तक डेढ लेन में परिवर्तन एवं पी.सी. के द्वारा सुधारीकरण का कार्य अपूर्ण रहना। |

अनुलग्नक-10
(प्रस्तर-2, भाग-2 के सन्दर्भ में)

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान निर्माण कार्य विभागों के मासिक लेखाओं में पायी गयी अनियमिततायें:-

| क्र . सं. | निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | खण्ड का नाम | महत्वपूर्ण अनियमिता | धनराशि |
|-----------|---------------------------|---|--|-----------------------|
| 1 | 02 | अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, पिथौरागढ़ | Hand Receipt से भुगतान करने का कारण बताए | 19470.00 |
| 2 | 04 | अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण खण्ड, रुद्रपुर | बिना वाउचर के कार्य का भुगतान पर किया गया | 556623.00 |
| 3 | 05 | अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तरकाशी | वाउचर पर रेविन्यू स्टाम्प व किसी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। | 1608694.00 |
| 4 | 06 | अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, पिथौरागढ़ | भुगतान विलंब से करने के कारण स्पष्ट करें | 106350.00 |
| 5 | 10 | अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, रुद्रपुर, उद्यमसिंह नगर | कार्य की सीमा तक पूर्ण न करने के कारण | 50000.00 |
| 6 | 15 | अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, अस्कोट | Schedule docket 5 अंतर्गत नारायण आश्रम में निरीक्षण भवन के निर्माण कार्य पर ₹ 8000000/- का व्यय वाउचर सं. 050 द्वारा फॉर्म 28 Hand receipt द्वारा किया गया। फॉर्म 28 की प्रतिलिपि लगी है जिस में दिनांक Revenue Stamp Authorized Officer के हस्ताक्षर नहीं है। | 8000000.00 |
| 7 | 16 | अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, रुद्रपुर | यदि कार्य 16.6.19 को समाप्त किया तो कार्य भुगतान 2 वर्ष 1 माह बाद करने के कारण साक्ष्यों के साथ विलयर करें। | 1355080.00 |
| 8 | 17 | अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, रुद्रपुर | प्रपत्र 73 भंडार लेखा में अंतिम अवशेष ऋणात्मक दर्शाया गया है जो कि नहीं होना चाहिए। जब अंतिम अवशेष ऋणात्मक है तो ₹. 2696446/- किया उधार पर issue credit किया गया है। | 2696446.00 |
| 9 | 21 | अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, कपकोट | वाउचर सं० 2 एवं 3 की धनराशि की भिन्नता को explanation करें | 124000.00 42400.00 |

| | | | | |
|----|----|--|--|----------------------|
| 10 | 22 | अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, अस्कोट | नाबार्ड के काम के व्यय की धनराशि को स्टेशनरी सामग्री के क्रय पर किस कारण भारित किया। | 19151.00 24780.00 |
| 11 | 28 | अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, पोखरी | कार्य भुगतान एक वर्ष 6 माह बाद करने के कारणों को साक्ष्यों के प्रस्तुत करें। | 46850.00 |
| 12 | 30 | अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, देहरादून | 4 वर्ष विलंब से भुगतान करने के कारणों से अवगत कराएं | 99464.00 |
| 13 | 32 | अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, नरेन्द्रनगर | विलंब से भुगतान करने के कारण से अवगत कराये। | 46356.00 56039.00 |
| 14 | 33 | अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, दुगड़ा | GST Tin no. अंकित नहीं है। | 43415.00 |
| 15 | 36 | अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, पिथौरागढ़ | वउचर के साथ जमा की गयी रॉयल्टी चालान संलग्न नहीं है | 31518.00 |
| 16 | 37 | अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, लोहाघाट | Hand receipt पर न तो Revenue Stamp लगा है न ही सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर व दिनांक अंकित है | 100000.00 |
| 17 | 42 | अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, पुरोलु | कार्य की अवधि में वृद्धि हेतु इकाई द्वारा सक्षम अधिकारी से अनुमोदन लिया गया अथवा नहीं | 395844.00 |
| 18 | 44 | अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, कालसी | कार्य समय सीमा पर पूर्ण नहीं किया गया है क्या विभाग द्वारा कार्य हेतु extension लैटर लिया गया | 737229.00 |
| 19 | 49 | अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, गैरसेण | Hand receipt पर न तो Revenue Stamp लगा है न ही हस्ताक्षर व दिनांक अंकित है | |
| 20 | 51 | अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, चम्बा | वउचर सं. 15 और 20 में 33514 और 63345 की रॉयल्टी में जमा की गयी है लेकिन वाउचर के साथ रॉयल्टी के चालान संलग्न नहीं है | 33514.00 63345.00 |
| 21 | 52 | अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लक्सर | वाउचर सं. 72 एवं 64 की धनराशि रु० 10000/- एवं 9000/- लेबर सेस में जमा की गयी है लेकिन लेबर सेस जमा होने से संबंधित कोई साक्ष्य संलग्न नहीं है | 19000.00 |
| 22 | 53 | अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, रुड़की | वउचर सं. 05, 06, 07, 08 के अनुसार व्यय रु. 66720/- किया गया किस लेखाशीर्ष के अंतर्गत व्यय रु. 65754 किया गया संबंधित पत्रावली की छायाप्रति प्रेषित करने के संबंध में | 65754.00 |

| | | | | |
|----|----|--|--|--------------------|
| 23 | 55 | अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, नई टिहरी | वाउचर उप की धनराशि में रु. 5507/- लेबर सेस में जमा की गयी है लेकिन लेबर सेस जमा होने से संबंधित कोई साक्ष्य संलग्न नहीं है तथा रु. 2849/- की धनराशि रॉयल्टी जमा किए जाने का चालान संलग्न नहीं किए जाने के कारण | 5507.00 2849.00 |
|----|----|--|--|--------------------|